राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
1.जेतीदेवी पत्नि अचलाराम जाति जाट, निवासी सारणों की तला (तारातरा), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर	1.अणसीदेवी पत्नि चिमाराम 2.चिमाराम 3.पदमाराम 4.हेमाराम पि. हिमताराम 5.कमलादेवी पत्नि पदमाराम 6.कुम्भाराम पुत्र लच्छाराम 7.खेमीदेवी पत्नि रेखाराम 8.चनणीदेवी पत्नि जुगताराम 9.जीयोदेवी पत्नि पोकराराम 10.तीजोदवी पत्नि घमण्डाराम 11.विवेक पुत्र हमीराराम 12.धुड़ीदेवी पत्नि हमीराराम 13.रूपाराम पुत्र लुम्भाराम 14.हेमलता पत्नि टीकमाराम, जाति जाट, निवासी सारणों का तला (तारातरा), 15.मूलाराम पुत्र हंजारीमल, जाति सोनी, निवासी सारणों का तला (तारातरा) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर 16.गजेसिंह 17.चेतनसिंह 18. जबरसिंह 19.दीपसिंह 20.पूनमसिंह 21.हुकमसिंह पि.हरीसिंह 22.कसुंबी पत्नि हरीसिंह 23.मिश्रीदेवी पत्नि रामसिंह 24.सम्पति पुत्री धनसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी नारवा, तहसील खींवसर, तहसील नागौर 25.शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा बैंक शाखा राणीगांव 26.तहसीलदार चौहटन

19/02/24 किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 45/24

प्रार्थीनी की ओर से अधिवक्ता श्री हुकमसिंह गोदारा ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीनी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस एवं सलंग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीनी के हक में कयास होता है, अतः जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा उभयपक्ष को आगामी पेशी तारीख तक इस कदर पाबन्द किया जाता है कि तहसील चौहटन के मौजा सारणों का तला (तारातरा) के खसरा सं. 628 रकबा 44.1916 हैक्टेयर भूमि पर मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्राथीगण की तलबी हेतु नोटिस दिवस 7 में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावे। तलबी अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर एडी. नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 19.03.2024 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

11/03/24 पत्रावली आज [illegible] विप्रार्थी [illegible] 22 की ओर से Adv. [illegible] [illegible] प्रार्थीनी वकील सूचित [illegible] विप्रार्थी सं. 16 से 22 के वकील के प्रार्थना पत्र वास्ते खारिज करने स्थगन आदेश का पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि

आवेदन [illegible] स्थगनादेश [illegible] कोई आपत्ति नहीं है [illegible] 11/3/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.03.14 13:58:39 IST
Reason: SelfAttested

स्थगन आदेश आज ही निरस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण वकील को सुना गया। प्रार्थीगण वकील ने कथन किया कि स्थगन आदेश के आवेदन को खारीज किया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अतः न्यायहित में विप्रार्थी सं. 16 से 22 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदन के आगे की कार्यवाही इसी स्तर पर संपादित की जाती है। ~~[illegible]~~ आवेदन इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.03.14 18:58:39 IST
Reason: SelfAttested